LiFE Lifestyle for Environment

मुख्यालय
“गौरा देवी पर्यावरण भवन”
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
E-mail: msukpcb@yahoo.com, फोन: 0135-2607092

# पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पुत्र स्व० श्री राम नारायण, निवासी बेलवास कंपाउंड, कोसी रोड, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा खसरा नं0–2519 अ. ग्राम भौर्सा, तहसील एवं जिला नैनीताल में गौला नदी पर भौर्सा रेत, बजरी और बोल्डर खनन परियोजना (क्षेत्रफल–3.00 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा Terms of Reference निर्धारित किये गये हैं, जिनके अन्तर्गत प्रस्तावक के द्वारा ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं पर्यावरण प्रबन्धन योजना तैयार कर प्रस्तुत की गयी है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथासंशोधित) के अनुसार उक्त प्रकार की परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पूर्व लोक सुनवाई का प्राविधान है, जिस हेतु 30 दिनों का नोटिस समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण के संज्ञानार्थ दिया जाना आवश्यक है। लोक सुनवाई हेतु 'पैनल' की संरचना उक्त अधिसूचना के अनुरूप निम्नवत् है:–

1. जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल या उनके द्वारा नामित / अधिकृत प्रतिनिधि जो जिला स्तरीय अधिकारी हो – लोक सुनवाई के अध्यक्ष।
2. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि।

प्रस्ताव से सम्बन्धित जमा समस्त अभिलेख (i) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 25–सुभाष रोड, देहरादून (ii) मुख्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 46–बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून (iii) क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल (iv) कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल (v) कार्यालय, जिला पंचायत, नैनीताल (vi) जिला उद्योग केन्द्र, नैनीताल में उपलब्ध हैं, जिनका कोई भी इच्छुक संस्था / व्यक्ति अवलोकन कर सकता है। ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट एवं सारांश की प्रति **www.ueppcb.uk.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

श्री अशोक कुमार अग्रवाल, पुत्र स्व० श्री राम नारायण, निवासी बेलवास कंपाउंड, कोसी रोड, रामनगर, जिला नैनीताल द्वारा खसरा नं0–2519 अ, ग्राम भौर्सा, तहसील एवं जिला नैनीताल में गौला नदी पर भौर्सा रेत, बजरी और बोल्डर खनन परियोजना (क्षेत्रफल 3.00 है०) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 12.12.2024 को प्रातः 11:00 बजे से परियोजना स्थल में तत्समय कोविड–19 के संदर्भ में विद्यमान SoP के अधीन सोशल डिस्टेसिंग, आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग, थर्मल स्क्रीनिंग एवं हैडवाश व सेनेटाइजर तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ निर्धारित की जाती है।

अतः सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि सम्बन्धित परियोजना के प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपने मौखिक, लिखित, सुझाव, टीका टिप्पणियों एवं आपत्तियाँ इस कार्यालय अथवा बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी में इस सूचना से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रेषित् कर सकते हैं अथवा लोक सुनवाई के समय भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

**सदस्य सचिव**
**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

H.T. Media 9/11/2024